बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक-नि० प्रा०/ नि० 1-03/ 2014 817 /पटना, दिनांक 29/8/2014

प्रेषक,

विनय कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०),
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

विषय : **प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन, 2014 : मतदाता सूची की तैयारी के संबधं में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक-521 दिनांक 25.08.2014 के प्रसंग में कहना है कि बिना सदस्यता शुल्क की रसीद एवं शेयर प्रमाण पत्र के वर्ष, 2009 की मतदाता सूची के आधार पर वर्त्तमान चुनाव के लिए प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन के पश्चात् निर्धारित अवधि तक विहित तरीके से विहित साक्ष्यों के साथ आपत्ति प्राप्त होने पर अंतिम मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है। यदि प्रारूप मतदाता सूची में दिनांक 31.07.2014 तक बनाये गए सदस्यों, जिनके संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पुंजी संबंधित सहकारी बैंक में दिनांक 31.07.2014 तक जमा की गयी है और यदि उनका नाम सम्मिलित नहीं है, तो विहित तरीके से विहित साक्ष्यों के साथ निर्धारित अवधि तक की गयी आपत्ति/ दावे पर नाम सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

Sd/- 29/8/14
(विनय कुमार)
अवर सचिव

BSEA dt. 29.08.2014